चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

E.mail : registrar@ccsuniversity.ac.in **NAAC A++** Website : www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांक :–आर०ओ० / 424 / 2025–26 दिनांक :– 18-03-2026

सेवा में,

01. सचिव / प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

02. समस्त विभागाध्यक्ष / संकायाध्यक्ष / निदेशक,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ।

विषय : प्रदेश सरकार के 'नव निर्माण के नौ वर्ष' पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश मुख्यालय तथा समस्त जनपदों में प्रस्तावित कार्यक्रमों के संबंध में दिशा निर्देशों के संबंध में।

महोदय,

कृपया, उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–03, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्रांकः 276 / सत्तर–3–2026, दिनांक 17 मार्च, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश सरकार के 'नव निर्माण के नौ वर्ष' पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश मुख्यालय तथा समस्त जनपदों में प्रस्तावित कार्यक्रमों के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किये गये है।

उक्त के सम्बन्ध में आपको उपर्युक्त वर्णित पत्र दिनांक 17 मार्च, 2026 की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप पत्र में उल्लिखित दिशा निर्देशों के आलोक में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

18.3.26

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01 वैयक्तिक सहायक कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
02 प्रो० नीलू जैन गुप्ता, अध्यक्ष, साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद्, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
03 प्रो० के०के० शर्मा, संयोजक, साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद्, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
04 सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता), चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
05 प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
06 प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

कुलसचिव

महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या- 276 /सत्तर-3-2026-

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज।
2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।
3. **अपर सचिव,**
उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद,
लखनऊ।
4. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,**
उ0प्र0।
5. **विशेष कार्याधिकारी/राज्य सम्पर्क अधिकारी,**
राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक 17 मार्च, 2026**

विषयः- प्रदेश सरकार के 'नव निर्माण के नौ वर्ष' पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश मुख्यालय तथा समस्त जनपदों में प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूचना अनुभाग-1 के पत्र संख्या-223/उन्नीस-1-2026, दिनांक 17.03.2026 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें प्रदेश सरकार के 'नव निर्माण के नौ वर्ष' पूर्ण होने के अवसर पर विगत नौ वर्षों की अभूतपूर्व उपलब्धियों से जनसामान्य को अवगत कराया जाना है। इस सम्बन्ध में आगामी 18 मार्च, 2026 से 26 मार्च, 2026 तक सभी जनपदों में समारोह आयोजित कर शासन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों एवं योजनाओं की जानकारी प्रदान किये जाने के कतिपय दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से तथा प्राथमिकता के आधार पर करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
Digitally Signed by
Shakil Ahmad Siddiqui
Date: 17-03-2026
(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
(4) निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
(5) निजी सचिव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 223/उन्नीस-1-2026

प्रेषक,

एस0 पी0 गोयल
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

सूचना अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2026

विषयः प्रदेश सरकार के 'नव निर्माण के नौ वर्ष' पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश मुख्यालय तथा समस्त जनपदों में प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदया/ महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार के 'नव निर्माण के नौ वर्ष' पूर्ण होने के अवसर पर विगत नौ वर्षों की अभूतपूर्व उपलब्धियों से जनसामान्य को अवगत कराया जाना है। इस सम्बन्ध में आगामी 18 मार्च, 2026 से 26 मार्च, 2026 तक सभी जनपदों में समारोह आयोजित कर शासन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों एवं योजनाओं की जानकारी देने का निर्णय लिया गया है।

समारोह की व्यवस्था हेतु प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक परामर्शदाता समिति गठित की जाए, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों तथा सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।

उल्लेखनीय है कि विगत नौ वर्षों में प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं तथा लोकहित में अनेक नवीन जनकल्याण की योजनाएँ/ परियोजनाएँ/ कार्य प्रगति पर हैं। विकास के विभिन्न लोककल्याणकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा देश में प्रथम/ उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया गया है। समीचीन है कि इन उपलब्धियों के सम्बन्ध में तथा सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के सम्बन्ध में जनसामान्य को अवगत कराया जाए।

उपर्युक्त के क्रम में सरकार के कार्यकाल के नव निर्माण के नौ वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दिनांक 18 मार्च, 2026 से निम्नलिखित कार्यक्रमों के आयोजन का निर्णय लिया गया है-

- जनपद मुख्यालय पर माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में नौ दिवसीय मेले का उद्घाटन किया जाए।
- जनपद मुख्यालय पर माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पत्रकार वार्ता आयोजित की जाए।
- नौ वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर तैयार की गई विशेष लघु फिल्म का प्रदर्शन एवं विकास पुस्तिका का विमोचन कराया जाए।

- जनहित में क्रियान्वित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं/ परियोजनाओं/ कार्यो से सम्बन्धित केन्द्र सरकार के 11 वर्षों तथा प्रदेश सरकार के 09 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी सभी विभागों द्वारा जनपद स्तर पर लगाई जाए।
- केन्द्र सरकार के 11 वर्षों तथा प्रदेश सरकार के 09 वर्षों की अवधि में जनपद में लोकार्पित एवं शिलान्यास की गई समस्त परियोजनाओं के शिलापट्टों की विशेष प्रदर्शनी लगाई जाए।
- नौ दिवसीय मेले में प्रत्येक दिन युवा/ महिला/ किसान/ श्रमिकों आदि के कल्याण हेतु एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों से सम्बन्धित थीम आधारित योजनाओं पर विचार गोष्ठी/ संवाद सम्मेलनों का आयोजन किया जाए। सत्रों के अन्तराल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।
- नौ दिवसीय मेले के किसान सम्मेलन में पशुपालन एवं गौ-सेवा के आर्थिक मॉडल के प्रचार-प्रसार पर बल दिया जाए कि किस प्रकार नस्ल सुधार से कृषि अर्थ व्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा सकती है।
- पर्यटन एवं संस्कृति के संरक्षण एवं सम्वर्द्धन हेतु जनपदों के पौराणिक, सांस्कृतिक महत्व एवं परम्परा/ गौरवशाली विरासत को उद्घाटित करने वाले मूर्त/ अमूर्त तथ्यों को समावेशित करते हुए प्रदर्शनी का आयोजन कराया जाए।
- नौ दिवसीय मेले में जनपद के ऐसे विशिष्ट महानुभावों, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है, उन्हें आमन्त्रित कर सम्मानित करते हुए उनकी सफलता की कहानियों पर उद्बोधन कराया जाए।
- विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं यथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पी0एम0 सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, दिव्यांगजनों को ट्राई साईकिल वितरण योजना, प्रधानमंत्री स्टार्ट-अप योजना, मुख्यमंत्री अप्रैन्टिसशिप योजना आदि से अनाच्छादित पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।
- नौ दिवसीय मेले में उत्तर प्रदेश में दीर्घकालिक एवं सुनियोजित विकास को गति देने के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ राज्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन विकास की रणनीति तैयार कराए जाने हेतु आम जनमानस से सुझाव प्राप्त किए जाएं।
- जनपदीय बैन्कर्स कमेटी के साथ समन्वय स्थापित कर ऋण मेलों का आयोजन तथा रोजगार एवं सेवायोजन निदेशालय के सहयोग से रोजगार मेलों का आयोजन कराया जाए।

- विगत नौ वर्षों में जनपद में प्राप्त निजी निवेश की ऐसी परियोजनाएँ जिन्हें धरातल पर उतारा जा चुका है अथवा जो प्रक्रियाधीन हैं, उन्हें प्रदर्शनी में दिखाया जाए।
- जनपदीय मेलों में फूड-कोर्ट भी लगाए जाएं, जिनमें ओ0डी0ओ0सी0 (एक जनपद एक व्यंजन) के पारम्परिक व्यंजनों के विशेष स्टॉल प्रमुखता से लगाए जाएं।
- नौ दिवसीय मेले में प्रतिदिन सायंकाल संस्कृति/ सूचना विभाग के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिसमें स्थानीय कलाकारों को वरीयता दी जाए।
- जनपद के प्रभारी मंत्री के उपलब्ध न होने की दशा में मा0 सांसद अथवा मा0 विधायकगण अथवा प्रदेश सरकार के विभिन्न बोर्डों के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। कार्यक्रम में जनमानस की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए।
- सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं का आयोजन तथा विधानसभा क्षेत्र में कराए गए व प्रस्तावित कार्यों का शिलान्यास/ लोकार्पण मा0 सांसद, मा0 विधायक, प्रदेश सरकार के विभिन्न बोर्डों के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष द्वारा जनमानस की उपस्थिति में कराया जाए।
- नगरीय क्षेत्र में मिशन व्यापारी कल्याण के रूप में प्रत्येक नगर निगम/ नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत में व्यापारियों व लघु उद्यमियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं यथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आदि के लाभार्थियों के सम्मेलनों का आयोजन/ टूलकिट ऋण वितरण तथा प्रगतिशील व्यापारियों व लघु उद्यमियों का सम्मान कराया जाए।

सभी जिलाधिकारियों द्वारा जनपद मुख्यालय, प्रत्येक विधानसभा तथा विकासखण्ड स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए एक-एक अधिकारी (मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी स्तर) को नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जो विभिन्न विभागों तथा कार्यक्रमों में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।

जनपदों के लिए नामित वरिष्ठ नोडल अधिकारियों द्वारा अविलम्ब जनपदों का भ्रमण कर समस्त कार्यक्रमों के सफल आयोजन की समुचित तैयारियों की समीक्षा की जाए।

भवदीय,

17/9/2026

(एस0 पी0 गोयल)

मुख्य सचिव